वर्ड स्मिथ

स्क्रूटनी शब्द की उत्पत्ति

स्क्रूटनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'स्क्रूटिनियम' से मानी जाती है, जिसका मूल अर्थ खोज, छानबीन अथवा सूक्ष्म परीक्षण है। यह शब्द पुरानी फ्रेंच भाषा के माध्यम से विकसित होकर अंग्रेजी भाषा में प्रविष्ट हुआ, जहां इसका प्रयोग किसी विषय या तथ्य की गहन और व्यवस्थित जांच के अर्थ में होने लगा। भाषाई विकास की इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि जांच की अवधारणा सदैव तथ्यों की गहराई तक पहुंचने से जुड़ी रही है। शैक्षणिक दृष्टि से जांच-पड़ताल का आशय किसी घटना, वस्तु या अवधारणा का तार्किक, सावधानीपूर्ण और विस्तृत अध्ययन करना है। इसमें तथ्यों का संग्रह, उनका विश्लेषण तथा उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया शामिल होती है। जांच केवल सतही निरीक्षण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसके अंतर्गत कारण-परिणाम संबंधों को समझना और विषय के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। अनुसंधान, न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासन और सामाजिक विज्ञानों में जांच की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही और निष्पक्ष जांच न केवल सत्य की खोज में सहायक होती है, बल्कि निर्णय प्रक्रिया को भी अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाती है। इस प्रकार, जांच ज्ञान-विकास, सत्यापन और उत्तरदायित्व की स्थापना का एक अनिवार्य साधन है।

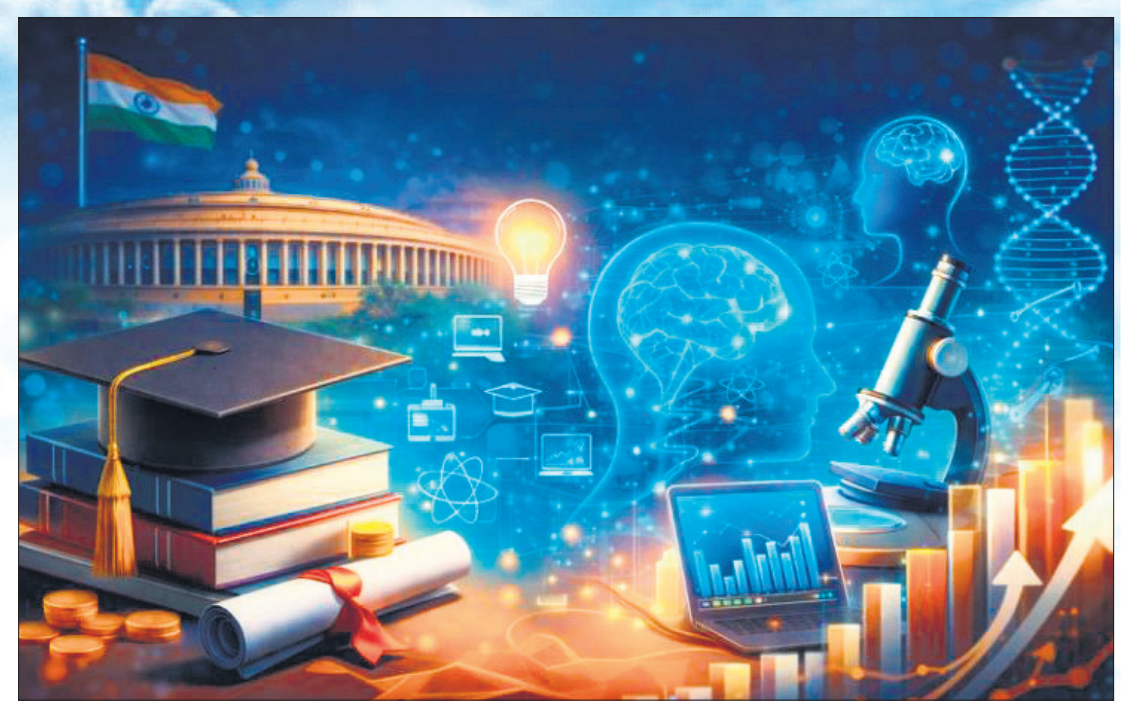

केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा को लेकर सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव कक्षा, कौशल और तकनीक के मेल से रखी जाएगी। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार शिक्षा पर कुल आवंटन बढ़ाकर लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1.28 लाख करोड़ रुपये की तुलना में करीब 8.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पहली नजर में यह बढ़ोतरी उल्लेखनीय लगती है और सरकार इसे भविष्य की तैयारी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन गहराई से देखने पर यह सवाल भी सामने आता है कि क्या यह बजट वास्तव में पुरानी संरचनात्मक समस्याओं से किनारा करता है या उन्हें नई शब्दावली में ढक देता है।

कुमार सिद्धार्थ
लेखक

शिक्षा बजट 2026: शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के साझा मॉडल की परिकल्पना

तकनीकी कौशल से करियर की राह

इस बजट का केंद्रीय विचार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को एक साझा रणनीति के रूप में जोड़ने का है। सरकार का मानना है कि केवल डिग्री आधारित शिक्षा अब पर्याप्त नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रमों को उद्योग, तकनीक और वैश्विक जरूरतों से जोड़ना आवश्यक है। इसी सोच के तहत स्कूलों और कॉलेजों में कौशल आधारित ढांचे को मजबूत करने की घोषणाएं की गई हैं। सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला प्रस्ताव 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने का है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों को भविष्य के रोजगार से जोड़ते हुए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमी अब औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनेगी। बजट दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2030 तक एवीजीसी और इससे जुड़े डिजिटल क्रिएटिव सेक्टर में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी। ऐसे में स्कूल स्तर से ही कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और तकनीकी कौशल सिखाने की योजना को सरकार एक दूरदर्शी कदम के रूप में पेश कर रही है। इससे युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन में सक्षम बनाने का दावा किया गया है।

शिक्षा नीति को लचीला बनाने का लक्ष्य

उच्च शिक्षा के मोर्चे पर बजट का झुकाव तकनीक, अनुसंधान और उद्योग से सीधे जुड़ाव की ओर दिखाई देता है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का तर्क है कि जब विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, स्किल हब और उद्योग एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होंगे, तो छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव, इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह मॉडल शिक्षा और उद्योग के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी को पाटने का प्रयास है। बजट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति गठित की जाएगी। यह समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और उभरती तकनीकों के संदर्भ में यह आकलन करेगी कि भविष्य में कौशल और रोजगार की जरूरतें कैसे बदलेंगी और उसी अनुसार पाठ्यक्रमों में सुधार की सिफारिश करेगी। यह पहल संकेत देती है कि सरकार शिक्षा नीति को स्थिर नहीं, बल्कि बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप लचीला बनाना चाहती है।

डिजिटल अवसंरचना पर जोर

स्कूल शिक्षा के संदर्भ में बजट में डिजिटल और तकनीकी अवसंरचना पर जोर दिखाई देता है। डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन संसाधन और नई तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को सुलभ बनाने की बात कही गई है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूलों की भौतिक सुविधाएं और ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्रों की जमीनी हकीकत इस डिजिटल छलांग के साथ तालमेल बिठा पाएगी। कई विश्लेषणों में यह चिंता भी जताई गई है कि यदि शिक्षक ही प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लैब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धूल ही फांकेंगे। राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों की स्थिति पर बजट अपेक्षाकृत मौन दिखाई देता है। जबकि देश के लगभग 80 प्रतिशत विद्यार्थी इन्हीं संस्थानों में पढ़ते हैं, अनुसंधान और बुनियादी सुविधाओं के लिए मिलने वाला अधिकांश फंड अब भी केंद्रीय और प्रीमियम संस्थानों तक सीमित रहता है। इस असंतुलन के कारण राज्य विश्वविद्यालयों में शोध संस्कृति कमजोर होती जा रही है और बजट में इस खाई को पाटने के लिए कोई ठोस रोडमैप साफ नजर नहीं आता। बजट में यह भी उल्लेख है कि शिक्षा, कौशल और रोजगार को जोड़कर "भविष्य की अर्थव्यवस्था" की नींव रखी जा रही है। युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करने की बात कही गई है और इसे जनसांख्यिकीय लाभांश से जोड़ा गया है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और सरकार इस युवा शक्ति को उत्पादक मानव संसाधन में बदलने का लक्ष्य रखती है, लेकिन यह लक्ष्य तभी साकार होगा, जब शिक्षा केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित न रहे, बल्कि आलोचनात्मक सोच, सामाजिक संवेदनशीलता और रचनात्मकता को भी स्थान दे।

कुल मिलाकर, बजट 2026-27 का शिक्षा खंड एक दोहरे संदेश के साथ सामने आता है। एक ओर यह तकनीक, कौशल और रोजगार के जरिए भविष्य की तैयारी की बात करता है, दूसरी ओर यह पुरानी समस्याओं जैसे अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश, शिक्षक भर्ती की कमी और राज्य स्तरीय संस्थानों की उपेक्षा से पूरी तरह मुक्त होता नहीं दिखता। यह बजट शिक्षा को आर्थिक विकास के औजार के रूप में तो देखता है, लेकिन उसे सामाजिक समानता और बौद्धिक स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में रखने का साहस अभी अधूरा लगता है। आखिरकार, यह कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा बजट 2026-27 दिशा तो दिखाता है, लेकिन दूरी अभी तय होनी बाकी है। यह भविष्य की तैयारी का दावा करता है, पर साथ ही यह सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या हम पुरानी समस्याओं को हल किए बिना सचमुच एक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ पाएंगे?

नोटिस बोर्ड

■ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रयागराज रीजन ने संविदा चालकों की भर्ती के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से 5 से 12 फरवरी के बीच अलग-अलग स्थानों पर भर्ती मेले लगाए जाएंगे। विभाग के मुताबिक इस अभियान के तहत लगभग 250 संविदा चालकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास रखी गई है। वहीं आयु सीमा 23 वर्ष 6 माह से 58 वर्ष तक तय की गई है। चयन के दौरान मौके पर ही दस्तावेजों की जांच की जाएगी, इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा।

■ एमजेपीआरयू द्वारा सेंटर फॉर एजुकेशन एवं ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जनवरी सत्र हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस सत्र में अभ्यर्थी एमए शिक्षा, एमए अर्थशास्त्र, बीकॉम (सामान्य), एमएसडब्ल्यू, एमबीए (मार्केटिंग), एमए अंग्रेजी, एमए हिंदी, एमकॉम (सामान्य), एमए इतिहास तथा एमएससी गणित जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीए तथा इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता विषय में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।

कैंपस में पहला दिन

एक दिन, जो उम्र भर साथ चला

धर्मेंद्र सिंह चौहान
हल्द्वानी

कॉलेज जीवन की उन यादों में शामिल है, जो समय बीतने के साथ और भी अधिक चमकदार हो जाती हैं। कॉलेज के पहले दिन स्वयं को किसी रियासत का राजकुमार समझते हुए जब बरेली कॉलेज, बरेली की अंग्रेजी शासनकाल की विशाल और भव्य इमारत के भीतर प्रवेश किया, तो मन में एक अद्भुत रोमांच भर उठा। ऊंची छतें, लंबे बरामदे और इतिहास की गवाही देती दीवारें मानो नए सपनों का स्वागत कर रही थीं। विद्यालय के अनुशासित, सीमित और नियमबद्ध वातावरण से निकलकर महाविद्यालय के खुले, उन्मुक्त माहौल में कदम रखते ही लगा कि जीवन ने जैसे नई उड़ान भरने का अवसर दे दिया हो। बिना किसी यूनिफॉर्म के छात्र-छात्राओं की टोलियां परिसर में इधर-उधर घूम रही थीं। कहीं हंसी-ठिठोली थी, कहीं नए परिचयों की झिझक और कहीं भविष्य के सपनों की हलचल। उस क्षण यह एहसास गहराई से हुआ कि जीवन वास्तव में आज ही से शुरू हुआ है।

इसी दौरान कॉलेज के फीस काउंटर के पास एक बुजुर्ग मिले, जो मेरे बड़े भाई को जानते थे। उन्होंने स्नेह से पूछ लिया, "तुम उनके भाई हो?" यही एक छोटा-सा संवाद आगे चलकर गहरी मित्रता की नींव बन गया। अगले कुछ ही मिनटों में अपनापन इतना बढ़ गया कि वह रिश्ता वर्षों तक परम मित्रता में बदल गया और आज भी हम एक-दूसरे के परिवार में बेटे की तरह जुड़े हुए हैं। अभी इस आत्मीयता की गर्माहट मन में थी कि कुछ सीनियर छात्रों के समूह ने हमें रोक लिया। वे हमें कॉलेज की कैंटीन में ले गए, जहां हल्के-फुल्के सवाल-जवाब हुए और परिचय के नाम पर कोई न कोई गतिविधि करने को कहा गया, किसी से गाना, किसी से नाच, तो किसी से चुटकुला। जब मेरी बारी आई और मैंने चुटकुला सुनाया, तो पूरा वातावरण हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। प्रसन्न होकर सीनियर छात्रों ने सभी को जलपान भी कराया।

तब तक शाम ढल चुकी थी। महाविद्यालय का वह पहला दिन मेरी स्मृतियों में सदा के लिए अंकित हो गया। आज भी जब उस दिन को याद करता हूं, तो अतीत की वे तस्वीरें मन में ताजा हो जाती हैं और होंठों पर अनायास ही मुस्कान बिखर जाती है।

करेंट अफेयर्स

■ हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौता हो गया है, जिसके तहत शुल्क (टैरिफ) तत्काल प्रभाव से कम किए जाएंगे। यह घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सीधी बातचीत के बाद की गई। ट्रंप के अनुसार, इस समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अमेरिकी 'पारस्परिक टैरिफ' को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस डील से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव और शुल्क में राहत की उम्मीद जताई गई है। हालांकि इसके कानूनी स्वरूप और दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर अभी भी कुछ सवाल बने हुए हैं।

■ हाल ही में रक्षा मंत्री ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमितकरण के बाद गठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने की मंजूरी दी। महज चार वर्षों में यह कंपनी पारंपरिक सरकारी ढांचे से निकलकर मजबूत बिक्री और बढ़ते निर्यात के साथ एक लाभकारी उपक्रम बनकर उभरी है। इस निर्णय को भारत में आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को मज़बूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

■ बीते दिनों भारतीय पर्वतारोही कबक यानो ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकॉनकागुआ की सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई की, जो दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। 22,831 फीट ऊंचाई वाली इस चढ़ाई ने उनके 7-सम्मिट पर्वतारोहण अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। इस उपलब्धि से उनके दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और साहस का परिचय मिलता है और यह पूरे देश के युवा खिलाड़ियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।

■ बीते दिनों भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गंगा के मैदानों में स्थित एक आर्द्रभूमि और कच्छ के शुष्क भू-भाग में स्थित दूसरी आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि वैश्विक ढांचों के तहत आर्द्रभूमि और जैव विविधता संरक्षण के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पाटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छरी-ढांड (Chhari-Dhand) को आधिकारिक रूप से रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई है।

जॉब अलर्ट

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)

■ पद का नाम- विभिन्न IT पद (डेवलपर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर आदि)
■ कुल रिक्तियां-418 पद
■ योग्यता-CS/IT/इलेक्ट्रॉनिक्स में B.E/B.Tech/M.Tech/M.E/MCA
■ आयु सीमा-22 से 37 वर्ष (पद के अनुसार अलग-अलग)
■ आवेदन शुल्क-UR/OBC/EWS: 850 | SC/ST/PwD/महिला: 175
■ आवेदन की अंतिम तिथि-19 फरवरी 2026
■ वेबसाइट-bankofbaroda.bank.in

डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार

■ पद का नाम-ग्रामीण डाक सेवक (GDS) - ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM), डाक सेवक
■ पदों की संख्या-28636 (संभावित) अनुलग्नक-I के अनुसार (डिवीजन-वार रिक्ति पोर्टल पर उपलब्ध है)
■ वेतन-BPM: 12,000 से 29,380, ABPM/डाक ■ सेवक: 10,000 से 24,470
■ योग्यता- गणित और अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स के साथ 10 वीं कक्षा (SSE)
■ आयु सीमा-18 से 40 वर्ष
■ आवेदन की अंतिम तारीख-16 फरवरी 2026
■ वेबसाइट-https://indiapost.gov.in/

यंत्र इंडिया लिमिटेड ट्रेड अप्रेंटिस

■ पद का नाम-ट्रेड अप्रेंटिस (पूर्व-आईटीआई और गैर-आईटीआई)
■ कुल रिक्तियां-लगभग 3979 पद
■ आवेदन का तरीका-ऑनलाइन
■ प्रशिक्षण स्थान-आयुध और आयुध उपकरण कारखाने (पूरे भारत में)
■ वजीफा-8200 - 9600 प्रति माह
■ आवेदन की अंतिम तिथि-03 फरवरी 2026
■ वेबसाइट-https://recruit-gov.com

स्कूल-शिक्षक-समाज : नीति के चौराहे पर खड़ा उत्तराखंड

जीवन सिंह सैनी
लेखक

उत्तराखंड में विद्यालयों और महाविद्यालयों में न्यून छात्र संख्या के आधार पर पदों के समायोजन, स्थानांतरण और नई भर्तियों पर रोक से जुड़ी हालिया खबर केवल प्रशासनिक निर्णय भर नहीं है, बल्कि यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों के भविष्य और ग्रामीण समाज की संरचना से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। यह विषय जितना वित्तीय अनुशासन से जुड़ा है, उतना ही सामाजिक न्याय, शैक्षिक समानता और संवैधानिक दायित्व से भी।

राज्य के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन की धुरी रहे हैं। पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व आधारभूत सुविधाओं के अभाव ने पहले ही इन क्षेत्रों को कमजोर किया है। ऐसे में छात्र संख्या में प्रतिवर्ष 7 से 12 प्रतिशत की गिरावट एक स्वाभाविक सामाजिक परिणाम है, न कि शिक्षकों या विद्यालयों की विफलता। यदि इसी गिरावट को आधार बनाकर स्कूलों को 'अप्रासंगिक' ठहराया जाएगा, तो यह समस्या के समाधान के बजाय उसे और गहरा करेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्लस्टर योजना का उद्देश्य संसाधनों का साझा उपयोग और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार है। किंतु जब इस योजना को केवल न्यून छात्र संख्या से जोड़कर देखा जाता है और उसका परिणाम शिक्षकों को 'सरप्लस' घोषित कर स्थानांतरण के रूप में निकलता है, तो नीति की आत्मा ही आहत होती है। शिक्षा नीति का लक्ष्य शिक्षक को असुरक्षित करना नहीं, बल्कि उसे सशक्त बनाना होना चाहिए।

वित्त विभाग का यह तर्क कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन आवश्यक है, अपनी जगह उचित है, लेकिन क्या बेहतर प्रबंधन का अर्थ पदों को कम करना या रिक्त छोड़ देना ही है? क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए कि राज्य के कई दुर्गम क्षेत्रों में आज भी विषय विशेषज्ञों और योग्य शिक्षकों की भारी कमी है? यदि कुछ विद्यालयों में छात्र संख्या कम है, तो समाधान विद्यालय बंद करना या पद घटाना नहीं, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार, बहुस्तरीय शिक्षण, डिजिटल सहायता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना होना चाहिए।

शिक्षकों को बार-बार दुर्गम से सुगम और सुगम से दुर्गम स्थानों पर स्थानांतरित करने की नीति ने पहले भी शिक्षा की निरंतरता को नुकसान पहुंचाया है। शिक्षक असुरक्षा के वातावरण में न तो शैक्षणिक नवाचार कर पाता है और न ही समाज के साथ स्थायी रिश्ता बना पाता है। यदि सरप्लस के नाम पर स्थानांतरण का नया फॉर्मूला लागू हुआ, तो इसका सीधा असर शिक्षकों के मनोबल, पारिवारिक जीवन और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ेगा। यह भी विचारणीय है कि पद समाप्त होने या रिक्त रहने से अल्पकालिक वित्तीय बचत तो हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में इसका मूल्य समाज को चुकाना पड़ेगा। जब स्कूल कमजोर होंगे, तो निजी और महंगी शिक्षा का दबाव बढ़ेगा, जिससे सामाजिक असमानता और गहरी होगी। ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार केवल कागजी रह जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ द्वारा समय रहते इस विषय को उठाना दूरदर्शिता का परिचायक है। यदि 2023 में पदोन्नति मुद्दा था, तो 2026 में आर्थिक हानियों से बचाव और 2028-2030 में स्कूल व नौकरी बचाने की चेतावनी एक गंभीर संकेत है। यह केवल शिक्षकों की लड़ाई नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा प्रणाली को बचाने की लड़ाई है। अब आवश्यकता है कि शिक्षक संगठन भावनात्मक नहीं, बल्कि अकादमिक और नीतिगत स्तर पर ठोस प्रस्ताव लेकर आगे आए। जैसे-

■ न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों में बहु-विषयक और बहु-ग्रेड शिक्षण मॉडल लागू करना।
■ क्लस्टर योजना में शिक्षक सुरक्षा को अनिवार्य शर्त बनाना।
■ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शैक्षिक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करना।
■ पदों को समाप्त करने के बजाय पुनर्नियोजन और प्रशिक्षण के माध्यम से उपयोगी बनाना।

सरकार और शिक्षक संघ दोनों को यह समझना होगा कि शिक्षा खर्च नहीं, निवेश है। यदि आज विद्यालय और शिक्षक सुरक्षित नहीं किए गए, तो आने वाले वर्षों में समाज, राज्य और लोकतंत्र तीनों इसकी कीमत चुकाएंगे। कलम की शक्ति तभी बुलंद होगी, जब नीति में संवेदनशीलता और निर्णय में दूरदृष्टि होगी।